समाचार

दंडित होंगे संपत्ति का ब्योरा नहीं देने वाले

Jan 01, 05:30 am

Print

पटना, जागरण ब्यूरो। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के अभियान को दम देते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने महकमे के अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए फरमान जारी कर दिया है। अधिकारी हों या कर्मचारी 1 फरवरी तक उन्हें अपनी सम्पत्ति और देनदारी के ब्योरे की घोषणा करनी होगी। अपने साथ-साथ अपनी पत्नी और आश्रित के नाम पर जो जमीन-जायदाद है उसका भी ब्योरा लिखित रूप में देना होगा। ब्योरा देने से चूके तो सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलाकर उन्हें दंडित करेगी। विभाग के संयुक्त सचिव अजय कुमार चौधरी ने 21 जनवरी को सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव, विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, विशेष कार्य पदाधिकारी व उप सचिव के नाम पत्र जारी कर देनदारी और सम्पत्ति से संबंधित ब्योरा 1 फरवरी तक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। सभी प्रशाखा पदाधिकारियों के नाम जारी अलग पत्र में कहा गया है कि 1 फरवरी तक निश्चित तौर पर अपना एवं अपने अधीनस्थ सहायकों की सम्पत्ति व देनदारी का ब्योरा प्रशाखा चार में उपलब्ध करायें। निर्धारित अवधि में ब्योरा नहीं देने वाले सहायकों का नाम भी 1 फरवरी तक मांगा गया है ताकि सरकारी आदेश की अवहेलना के आरोप में उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलायी जा सके। ब्योरा देने के लिए दो पृष्ठ का फार्मेट संलग्न किया गया है। जिसमें बैंक वित्तीय संस्थानों, गैर वित्तीय संस्थानों, बांड-शेयर, एलआईसी, एनएसएस, एलआईसी, स्वर्णाभूषण, अन्य महत्वपूर्ण सम्पत्ति, भूमि, भवन कहा और कितना है, बाजार मूल्य क्या है बताना होगा। इसी तरह कर्ज, सरकार के पास बकाया आदि के बारे में जानकारी देनी होगी।

निजता नीति | सेवा की शर्तें | आपके सुझाव
इस पृष्ठ की सामग्री जागरण प्रकाशन लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई है
कॉपीराइट © 2007 याहू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सर्वाधिकार सुरक्षित
कॉपीराइट / IP नीति